



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34140

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2018/2026

अशोक कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

---

याची के अधिवक्ता : धीरज कुमार यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

---

#### न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याची ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है :-

"i. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.11.2025 [इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या-7 के रूप में दाखिल] को रद्द करें;

ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित करें कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 22 के संदर्भ में, फील्ड बुक दिनांक 15.06.2024 की पुष्टि करने वाले प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2025 के अनुपालन में, विवादित संपत्ति पर याची के पक्ष में कब्जा प्रदान करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याची को संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत प्रावधानित है।
4. इस तथ्य को याची के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को याची को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याची उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत प्रावधानित संबंधित प्राधिकारी के समक्ष जाते हैं, तो संबंधित प्राधिकारी को इसे शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

फरवरी 13, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"